

## एक राष्ट्र एक चुनाव

### प्रलिस के ललल:

[एक राष्ट्र एक चुनाव](#), [लोकसभा](#), [राज्यसभा](#), [भारत का नरलवाचन आयोग](#), [जन परतनलधलतलव अधनलयलम, 1951](#)

### मेन्स के ललल:

एक राष्ट्र एक चुनाव, महत्त्व और चुनौतलतलँ

[सुरत: इंडयलन एक्सप्रेस](#)

### चरूा में कूरुँ?

हलल ही में केंद्र सरकार ने 'एक राष्ट्र एक चुनाव' (One nation One election- ONOE) योजनल की वूवहलरूतल कल पतल लगलने के ललतलपूर्व राष्ट्रपतल रलम नलथ कूवलदल की अधूकषतल में एक पैनल कल गठन कलल है ।

- तलरूककल एवं अनू चुनौतलतलँ के बलवजूद भारत में लोकसभल (संसद) और रलजू वधलनसभलओं के चुनाव एक सलथ करलने कल वचलर लंबे समय से चरूा कल वषलत रलल है ।

### एक सलथ चुनाव:

- परचलत:**
  - एक सलथ चुनाव करलने कल वचलर, **भलरतलतल चुनलवल ककरू** कू इस तरूह से संरूतल करने कू लेकर है कललोकसभल और रलजू वधलनसभलओं के चुनाव एक सलथ एवं नशलूतल समय के भीतर हूँ ।
  - हललकल वरूष 1967 तक इस अवधलरणल के तहत चुनाव आयोजतल कलतल गू, लेकनल कलरूकल समलप्त होने से पहले वधलनसभलओं और लोकसभलओं के बलर-बलर भंग होने के कलरण यह अभूलस धलरे-धलरे परूकलन से बलहर हु गू ।
  - वरूतमलन में केवल कूछ रलजूँ (आंधूर प्रदेश, अरूणलकल प्रदेश, ओडशल और सककूकमल) की वधलनसभलओं के चुनाव ही लोकसभल चुनलवूँ के सलथ हुते हूँ ।
- ललभ:**
  - अगसूत 2018 में भारत के वधलआयोग दूवलरल एक सलथ चुनलवूँ पर जलरल मसूदल रपूरूट के अनुसलर, एक राष्ट्र एक चुनाव के अभूलस से सलरूवजनकल धन की बूकत की जल सकतल है, परूशलसनकल वूववसूथल और सुरकूषल बलूँ पर पडूने वलले तनलव कू कम कलतल जल सकूेगल, सरकलरल नलतलतलँ कल समय पर कलरूलनूवयन हुगल तथल चुनाव परूकलर के बजलय वकलस गतवलधलतलतलँ पर धूयलन केंद्रतल करते हुू वभलनलन परूशलसनकल सुधलर कलतल जल सकूेगे ।

### एक सलथ चुनाव करलने में चुनौतलतलँ:

- वूवहलरूतल:**
  - संवधलन के अनुकूेद 83(2) और अनुकूेद 172 में कलल गू है कललोकसभल और रलजू वधलनसभलओं कल कलरूकल **पलँच वरूष कल हुगल**, यदल इनुहूँ पहले भंग न कलतल जलू तथल अनुकूेद 356 के तहत ऐसल परसलथतलतलँ भी उतूपनन हु सकतल हूँ जसलमें वधलनसभलएँ पहले भी भंग की जल सकतल हूँ । इसलतल केंद्र अथवल रलजू सरकार कल कलरूकल पूरल होने से पहले सरकार गरलने की सूथतलतलँ में ONOE योजनल की वूवहलरूतल सबसे अहम परूशन है ।
  - इस तरूह के बडे बदललव के ललतल संवधलन में संशूधन करने से न केवल वभलनलन सूथतलतलँ और परलवधलनूँ पर वूयलपक तूँर पर वचलर करने की आवशूकतल हुगी, बलूकल ऐसे बदललव **भवषलतल में कसलल परूकलर के संवधलनकल संशूधनूँ के ललतल एक कूतलजनक मसलल भी सलबतल हु सकते हूँ ।**
- संघवलद के अनूरूप न हुनल:**

- ONOE का वचिर 'संघवाद' की अवधारणा से सुमेलित नहीं है क्योंकि यह इस धारणा पर आधारित है कि संपूर्ण राष्ट्र "एक (One)" है जो कि अनुच्छेद 1 द्वारा भारत को "राज्यों के संघ" के रूप में वर्णित वचिर का खंडन करता है।
- **वर्तमान स्वरूप का अधिक लाभकारी होना:**
  - बार-बार होने वाले चुनावों के कारण चुनाव के वर्तमान स्वरूप को लोकतंत्र में अधिक लाभकारी के तौर पर देखा जा सकता है क्योंकि यह मतदाताओं की आवाज़ सुनने की अधिक बार अनुमति देता है।
  - चूँकि राष्ट्रीय और राज्य चुनावों के अंतरनिहित मुद्दे अलग-अलग होते हैं, इसलिये वर्तमान ढाँचा इन मुद्दों को पृथक रूप से हल करने में मदद करता है, जिससे अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
- **EVM और VVPAT की आवश्यकता:**
  - एक साथ चुनाव के लिये लगभग 30 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वोटर-वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) मशीनों की आवश्यकता होगी।
    - भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India- ECI) ने वर्ष 2015 में सरकार को एक व्यवहार्यता रिपोर्ट सौंपी, जिसमें संविधान तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन का सुझाव दिया गया।
- **लागत संबंधी वचिर:**
  - ECI ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि एक साथ चुनाव कराने के लिये पर्याप्त बजट की आवश्यकता होगी।
  - प्रत्येक 15 वर्ष की अवधि के बाद मशीनों को बदलने की अतिरिक्त लागत के साथ EVM और VVPAT की खरीद के लिये कुल लगभग 9,284.15 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी।
  - एक साथ चुनाव होने से चुनावों के लिये मशीनों को एकत्र करने हेतु भंडारण लागत में वृद्धि होगी।
- **मतदाता व्यवहार पर प्रभाव:**
  - कुछ राजनीतिक दलों का तर्क है कि यह मतदाताओं के व्यवहार को इस तरह से प्रभावित कर सकता है कि मतदाता राज्य चुनावों के लिये भी राष्ट्रीय मुद्दों को केंद्र में रखकर मतदान करेंगे जिससे बड़े राष्ट्रीय दल, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा दोनों चुनावों में जीत हासिल कर सकते हैं और इस तरह क्षेत्रीय दल हाशिये पर चले जाएंगे।
- **चुनावी मुद्दे:**
  - राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव कभी-कभी अलग-अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं, और जब वे एक साथ आयोजित किये जाएंगे तो मतदाता मुद्दों के एक सेट को दूसरे की तुलना में अधिक महत्त्व दे सकते हैं।
- **जवाबदेही में कमी:**
  - प्रत्येक 5 वर्ष में एक से अधिक बार मतदाताओं का सामना करने से राजनेताओं की जवाबदेही बढ़ती है और वे सतर्क रहते हैं। अंततः चुनावों के दौरान बहुत सारी नौकरियों भी सृजित होती हैं, जिससे ज़मीनी स्तर पर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।

## भारत में एक साथ चुनाव की व्यवस्था बहाल करना:

- **लॉ कमीशन वरकगि पेपर (2018) की सिफारिशों के अनुसार,**
  - संविधान, [जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951](#) तथा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की प्रक्रिया के नयियों में संशोधन के माध्यम से एक साथ चुनाव बहाल किये जा सकते हैं। वर्ष 1951 के अधिनियम की धारा 2 में एक परभाषा जोड़ी जा सकती है।
  - लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कामकाज के नयियों में संशोधन के माध्यम से अविश्वास प्रस्ताव को रचनात्मक अविश्वास मत से बदला जा सकता है।
  - त्रिशंकु विधानसभा अथवा संसद में गतिरोध को रोकने के लिये [दल-बदल वरिधी कानून](#) की शक्त को कम किया जा सकता है।
  - लचीलापन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आम चुनावों की घोषणा के लिये छह महीने की वैधानिक समय-सीमा को एक बार बढ़ाया जा सकता है।

## वे देश जहाँ एक साथ चुनाव होते हैं:

- **दक्षिण अफ्रीका** में राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव पाँच साल के लिये एक साथ होते हैं और नगरपालिका चुनाव दो साल बाद होते हैं।
- **स्वीडन** में राष्ट्रीय विधायिका (Riksdag) और प्रांतीय विधायिका/काउंटी परिषद (Landsting) तथा स्थानीय निकायों/नगरपालिका विधानसभाओं (Kommunfullmaktige) के चुनाव चार साल के लिये एक नश्चिति तथि यानी सितंबर के दूसरे रविवार को होते हैं लेकिन अधिकांश अन्य बड़े लोकतंत्रों में एक साथ चुनाव की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।
- **ब्रिटेन** में ब्रिटिश संसद और उसके कार्यकाल को स्थिरता एवं पूर्वानुमेयता की भावना प्रदान करने के लिये नश्चिति अवधि संसद अधिनियम, 2011 पारित किया गया था। इसमें प्रावधान था कि पहला चुनाव 7 मई, 2015 को और उसके बाद हर पाँचवें वर्ष मई के पहले गुरुवार को होगा।
- **जर्मनी के संघीय गणराज्य के लिये बुनियादी कानून का अनुच्छेद 67** अविश्वास के रचनात्मक वोट का प्रस्ताव करता है (पदाधिकारी को बर्खास्त करते हुए उत्तराधिकारी का चुनाव करना)।

## आगे की राह

- हर कुछ महीनों में अलग-अलग स्थानों पर चुनाव होते हैं और इससे विकास कार्य बाधित होते हैं। इसलिये हर कुछ महीनों में विकास कार्यों पर [आदर्श आचार संहिता](#) के प्रभाव को रोकने के लिये इस वचिर पर गहन अध्ययन और वमिर्श ज़रूरी है।
- इस बात पर आम सहमति होनी चाहिये कि देश को एक राष्ट्र, एक चुनाव की ज़रूरत है या नहीं। सभी राजनीतिक दलों को कम-से-कम इस मुद्दे पर वचिर-वमिर्श में सहयोग करना चाहिये, एक बार विवाद शुरू होने पर जनता की राय को ध्यान में रखा जा सकता है। एक परिपक्व लोकतंत्र होने के नाते भारत इस वचिर-वमिर्श के नतीजे का अनुसरण कर सकता है।

